




अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी
श्रवण कुमार

मुकाम- घोद मु. सीकर
गुल्लाराम आदि

क्रिम मुकदमा- राजस्व वाद

बनाम

मु.नं 62/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.11.2019	<p>वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर मिसल नियत तिथि 20.12.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी घोद मु. सीकर </p>	
20/12/19	<p>पणवली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं उपस्थित। वकील वादी व वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि राजीनामा होने के कारण नहीं चलाना चाहते हैं। अतः उनका वाद खारिज किया जावे। वकील वादी व वादी स्वयं को सुना। पणवली का अवलोकन किया। अतः वकील वादी व वादी के निवेदन को स्वीकार किया जा रहा है तथा निवेदन पर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पणवली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पणवली फैसल शुभत होकर बाउ तकमिल दाखिल चाफर ही</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी घोद मु. सीकर </p>	<p>राजीनामा होने से खारिज की जा रहा है।</p> <p style="text-align: right;">  4/12/19 </p>

